राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....1252/2015.............................जिला...........जयपुर...

उनवान – मैसर्स आर.ए. इन्टरनेशनल, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वृत्त–एच, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.09.2015	**एकलपीठ** **(कैम्प–जयपुर)** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2015, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् वर्ष 2012–13 के लिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि में से रू0 61,575/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि उनके द्वारा प्रशमन हेतु प्रार्थना पत्र मय करमुक्ति शुल्क विभाग को प्रस्तुत किया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने जवाब पर विचार किये बिना ही कर मुक्ति शुल्क की बजाय 1 प्रतिशत कर, शास्ति व ब्याज का आरोपण किया है। अतः ऐसी स्थिति में, समान बिन्दु पर कायम की गयी मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 61575/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । लगातार..........2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....1252/2015...............................जिला...........जयपुर...

उनवान – मैसर्स आर.ए. इन्टरनेशनल, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वृत्त–एच, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.09.2015	– 2 – उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग रूपये 61,575/– की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक रोक लगायी जाती है एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । 7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 8. आदेश सुनाया गया। 7.9.2015 (मदन लाल) सदस्य	